प्रेषक,

कुलदीप कुमार रस्तोगी,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

नियंत्रक,
विधिक माप विज्ञान विभाग,
उ0प्र0, लखनऊ।

उपभोक्ता संरक्षण एवं बाट माप अनुभाग-1 लखनऊ दिनॉक 08 अप्रैल, 2015

विषय- वित्तीय वर्ष 2015-16 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-21 के अन्तर्गत विधिक माप विज्ञान विभाग द्वारा संचालित राज्य उपभोक्ता हेल्प लाइन के संचालन हेतु प्राविधानित धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-916/निविमावि-लेखा-7(25) मॉग/2014-15, दिनॉक 03.11.2014, पत्र संख्या-958/निविमावि-लेखा-7(25) मॉग/2014-15, दिनॉक 25.11.2014 एवं वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2015-231/2015, दिनॉक 30.3.2015 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2015-16 के अनुदान संख्या-21 के अधीन लेखाशीर्ष-3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें-आयोजनेत्तर-106-भार और माप का विनियमन-04-राज्य उपभोक्ता हेल्प लाइन के अन्तर्गत होने वाले व्यय को वहन करने हेतु वित्तीय वर्ष 2015-16 में प्राविधानित धनराशि रू0 27,24,,000/- (सत्ताईस लाख चौबीस हजार रूपये) मात्र की धनराशि अधोलिखित विवरण के अनुसार, निम्न शर्तो के अधीन श्री राज्यपाल आपके निवर्तन पर रखने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि हजार रूपये में)

मद संख्या व मानक मद का नाम	स्वीकृत धनराशि	योग
02-मजदूरी	-	-
13-टेलीफोन पर व्यय	-	-
19-विज्ञापन बिक्री और विख्यापन व्यय	-	-
42- अन्य व्यय	2724	2724
44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	-	-
46-कम्प्यूटर हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर का क्रय	-	-
47-कम्प्यूटर अनुरक्षण एवं तत्संबंधी लेखन सामग्री का क्रय	-	-
कुल योग	2724	2724

2- धनराशि का उपयोग स्वीकृत मद में वित्तीय हस्त पुस्तिका वित्त विभाग के सुसंगत शासनादेशों/स्थायी आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए प्राविधानित धनराशि की सीमा के अन्तर्गत किया जायेगा तथा उपयोगित धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र भारत सरकार को यथासमय निर्धारित प्रपत्र पर भेजा जायेगा।

3- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-2/2015/बी-1-925/दस-2014-231/2014, दिनॉक 30.3.2015 में दिये गये दिशा निर्देशों का यथावत् अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

4- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में आय-व्ययक की अनुदान संख्या-21 के अन्तर्गत लेखाशीर्ष "3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें-आयोजनेत्तर-106-भार और माप का विनियमन-04- राज्य उपभोक्ता हेल्प लाइन के अन्तर्गत सुसंगत इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

5- यह आदेश वित्त विभाग के उक्त शासनादेश दिनॉक 30.3.2015 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के तहत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(कुलदीप कुमार रस्तोगी)
अनु सचिव।

सख्या-16/2015/1129(1)/84-1-14-तददिनॉक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट), प्रथम/द्वितीय उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
3- महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
4- वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
5- निदेशक, वित्तीय सांख्यकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
6-अनु सचिव,/आहरण एवं वितरण अधिकारी, खाद्य एवं रसद सचिव शाखा, उत्तर प्रदेश शासन।
7- राष्ट्रीय सूचना केन्द्र (एन0आई0सी0) योजना भवन, लखनऊ।
8- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7, वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
9-खाद्य एवं रसद अनुभाग-3/लेखा अनुभाग, खाद्य एवं रसद विभाग।
10-गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(कुलदीप कुमार रस्तोगी)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।